विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 1038 दिनांक : 10-05-19

प्रति,

प्राचार्य,
आचार्य राजेन्द्र सूरी शिक्षा महाविद्यालय,
ग्राम–गुराडिया देदा,बालाजी मंदिर के पास,
महू–नीमच बायपास रोड़,मंदसौर।

विषय :– विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं आवेदित पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता / सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का आवेदन क्रमांक / VU11901310016,दिनांक 31.01.2019 एवं REN 23400724,दिनांक 31.01.2019,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / आगामी कक्षा की सम्बद्धता / संबद्धता–निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 05.05.2019,को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानान्तर्गत गठित संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 10.05.2019 में प्रस्तुत किया गया,जिसमें समिति द्वारा अनुशसा की गई कि, "आचार्य राजेन्द्र सूरी शिक्षा महाविद्यालय,मंदसौर में सत्र 2019–20 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं बी.एससी. बी.एड.–तृतीय वर्ष(सीट संख्या 50)पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता एवं बी.एड. (सीट संख्या 50) पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा मान्य की गई तदनुसार महाविद्यालय को सत्र 2019–20,में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं उपरोक्त पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता दो माह में निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति करने की शर्त पर सशर्त प्रदान की जाये एवं दो माह पश्चात पुनः महाविद्यालय का निरीक्षण करवाकर पुनः प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।" समिति द्वारा की गई अनुशसा को माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया।

अतः उक्त महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2019–20 से प्रदान की जाती है :–

क्रं.	**पाठ्यक्रम**		**सीट संख्या**
01.	बी.एससी.बी.एड.–तृतीय वर्ष	**(सम्बद्धता)**	50
02.	बी.एड.	**(सम्बद्धता–निरंतरता)**	50

शर्ते :–01. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों का चयन अविलम्ब कराया जाये।
02. पाठ्यक्रमानुसार 100 नवीन पुस्तकें क्रय की जाये।
03. खेल के मैदान एवं प्रयोगशालाओं का उन्नयन करवाया जाये।

* **उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करने के उपरांत विश्वविद्यालय से संपर्क कर महाविद्यालय का अनिवार्य रूप से पुनः निरीक्षण कराये अन्यथा सम्बद्धता पर पुनःविचार किया जावेगा।**
* **आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रम की आगामी कक्षा की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधी में करें।**

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 1039 दिनांक : 10-05-19

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. क्षेत्रिय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन,श्यामला हिल्स,भोपाल।
4. निदेशक,महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
5. प्राचार्य,राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,मंदसौर।
6. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव,परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. प्रभारी,ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि,उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)